राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 277/2022

मनीराम पुत्र सरदाराराम जाति अहीर निवासी ढाणी लेगदी वाला तन् डाबला तहसल नीमकाथाना जिला सीकर, राज0

........प्रार्थी

ब–ना--म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

:: **निर्णय** :: दिनांक :–15–12–2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 183 खसरा नंबर 1417 रकबा 0.14 है., ख.नं. 1418 रकबा 0.65 है., ख.नं. 1420 रकबा 0.60 है., ख.नं. 1537/1416 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 है. का प्रार्थी संयुक्त खातेदार है प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को गांव में मन्नाराम व मनीराम दोनों नामों से बोलते हैं। प्रार्थी का सही नाम मनीराम है। प्रार्थी व उसके भाईयों ने उक्त भूमि दिनांक 17.08.1994 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद की थी। प्रार्थी ने जिस समय उक्त भूमि खरीद की उस समय ना तो आधार कार्ड थे व ना ही मतदाता पहचान पत्र थे इसलिये विक्रय पत्र में प्रार्थी का गांव में बोलता नाम मन्नाराम लिख दिया गया था। इसलिये नामांतरकरण दर्ज होने पर प्रार्थी का नाम मन्नाराम दर्ज हो गया जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जब मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड बने उसमें प्रार्थी ने अपना नाम मनी राम दर्ज करवा दिया इसलिये अब प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता आदि में मनी राम नाम दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मन्नाराम दर्ज होने से प्रार्थी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है इसलिए प्रार्थी को नाम दुरूस्ती बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं 183 खसरा नंबर 1417 रकबा 0.14 है., ख.नं. 1418 रकबा 0.65 है., ख.नं. 1420 रकबा 0.60 है., ख.नं. 1537/1416 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.51 है में प्रार्थी का नाम मन्नाराम के स्थान पर मनी राम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांक: राजस्व/2[illegible] दिनांक 07.09.2022 से पटवार मण्डल सिहोड़ की मूल रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल [illegible] गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में [illegible] अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 183 ग्राम सिहोड़, फोटो प्रति आधार कार्ड, परिवार [illegible] कार्ड, आयकर विभाग का पहचान पत्र, बैंक की पास बुक, म[illegible]ता पहचान पत्र, विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 17.08.94 की फोटो प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत डाबला का प्रमाण पत्र एवं नामांतरकरण सं 144 की फोटो प्रतियां पेश की है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र के अभिवचनों एवं पटवार हल्का ~~माउण्डा~~ सिहोड़ की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम सिहोड़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 183 में दर्ज प्रार्थी का नाम **मन्नाराम** के स्थान पर **मनी राम** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner